अनुसूचित जनजाति कल्याणार्थ
संख्याः-/923/I/2006-9(1)/32/2006

प्रेषक,

डॉ० एम०सी० जोशी,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक,
उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लि०
देहरादून।

ऊर्जा विभाग, देहरादूनः दिनांकः 08 जून, 2006

विषयः— वित्तीय वर्ष 2006—07 में निजी नलकूपों/पम्पसैटों के ऊर्जीकरण/विद्युत संयोजन हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त अनुभाग—1 के शासनादेश संख्या 908/XXVII(1)/2006, दिनांक 24.04.2006 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निजी नलकूपों/पम्पसैट के ऊर्जीकरण/विद्युत संयोजन हेतु रू0 1050 हजार (रू0 दस लाख पचास हजार मात्र) की धनराशि अनुदान के रूप में निम्न शर्तों के अधीन व्यय करने हेतु आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:—

1— उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा अपने हस्ताक्षर से तैयार एवं जिलाधिकारी, देहरादून से प्रतिहस्ताक्षरित बिल कोषागार, देहरादून में प्रस्तुत कर किया जायेगा।

2— स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण कर पी0एल0ए0 में रखी जायेगी जिसका आहरण आवश्यकता एवं कार्य की प्रगति के आधार पर तीन किश्तों में किया जाएगा। प्रथम किश्त का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर ही दूसरी किश्त का आहरण किया जाएगा। इसी प्रकार तीसरी किश्त का आहरण भी द्वितीय किश्त का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर किया जायेगा। मासिक रूप से योजना की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं ऊर्जीकृत नलकूपों/पम्पसैटों की सूची जनपदवार/विकासखण्डवार लाभार्थी सूची व उसके सापेक्ष व्यय धनराशि का उल्लेख करते हुए शासन को प्रस्तुत की जायेगी।

3— विकासखण्ड/जनपदवार लाभार्थियों की सूची व उनके सापेक्ष व्यय धनराशि का विवरण दिनांक 31.03.2007 तक शासन को पुस्तिका के रूप में भी उपलब्ध करा दिया जायेगा। यदि कोई धनराशि शेष बची रहे तो उसका विवरण भी कारण सहित शासन को उक्त तिथि तक उपलब्ध करा दिया जायेगा।

4— आवश्यक सामग्री का भुगतान सम्बन्धित फर्म से प्राप्त सामग्री की जांच के उपरान्त ही किया जायेगा तथा सामग्री का गुणवत्ता के लिये सक्षम अधिकारी को अधिकृत किया जायेगा, जो इस हेतु पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। स्वीकृत धनराशि का अन्यत्र उपयोग न किया जाय।

5— शासनादेश सं0 181/नौ—3—ऊ/2003, दिनांक 30.01.2003 में दिये गये सामान्य निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही की जायेगी एवं उसके संलग्न प्रारूप पर प्रार्थना पत्र प्राप्त किये जायेंगे। इस हेतु सर्वप्रथम लम्बित प्रार्थना पत्रों का निस्तारण प्रत्येक दशा में किया जायेगा।

6— व्यय करने से पूर्व जिन मामलों/योजनाओं पर बजट मैनुअल, फाईनेन्शियल हैण्ड बुक, स्टोर पर्चेज सम्बन्धी अन्य सुसंगत नियमों तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी की प्रशासनिक स्वीकृति आवश्यक है, इसमें वह प्राप्त करके ही कार्य प्रारम्भ किये जायेंगे।

7— यदि उक्त कार्यों में निर्माण कार्य कराये जाते हैं तो इनके आगणन बनाकर स्तर पर सक्षम स्तर की तकनीकी परीक्षण के उपरान्त सक्षम तकनीकी अधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त ही धनराशि का आहरण किया जाय।

...2

8– नलकूप लगाये जाने से पूर्व लाभार्थियों से इस बात की लिखित वचनबद्धता ले ली जायेगी कि उक्त ऊर्जीकृत नलकूपों के अनुरक्षण का पूर्ण दायित्व उन्हीं का होगा और इनके चालू रखने के लिये विभाग द्वारा सेफगार्ड भी अपनाया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही निजी नलकूप संयोजन इस प्रतिबन्ध के साथ निर्गत किया जाय कि उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लि0, सिंचाई विभाग अथवा भू-जल सर्वेक्षण विभाग, जैसी भी स्थिति हो, से इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे कि भूगिगत पानी के परिप्रेक्ष्य में नलकूप निर्माण हेतु कोई तकनीकी बाध्यता/रोक नहीं है। इस योजना के अन्तर्गत एक बार ऊर्जीत नलकूप का पुनः उसी योजना के अन्तर्गत ऊर्जीकरण नहीं किया जायेगा।

9– यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि सम्बन्धित ट्यूबवैलों में ऊर्जा संरक्षण/विद्युत सुरक्षा के पूर्ण उपाय किये जायेंगे तथा संयोजन इलैक्ट्रानिक मीटर युक्त होगा।

10– व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा जिनके लिये स्वीकृत किया जा रहा है।

11– कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु यूपीसीएल पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी।

12– उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि का इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण उपयोग के उपरान्त अब एवं पूर्व स्वीकृत धनराशि से ऊर्जीकृत समस्त पम्पों की लाभार्थीवार विवरण सहित (लागत व व्यय सूचना सहित) सूचना शासन को उपलब्ध करायी जायेगी। यह सूची सामान्य व एस0सी0पी0/टी0एस0पी0 वार अलग-अलग दी जायेगी।

13– सामान्य एवं अनुसूचित जाति के कल्याणार्थ इस योजना में धनराशि पृथक से निर्गत की जा रही है।

14– इस धनराशि से सर्वप्रथम गत वर्ष में 80 प्रतिशत किए गये कार्यों को पूर्ण किया जाएगा।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2006–07 में अनुसूचित जनजाति के कल्याणार्थ आय–व्ययक के अनुदान संख्या 31 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2801–बिजली–06–ग्रामीण विद्युतीकरण आयोजनागत–796–जनजाति क्षेत्र उपयोजना–03–निजी नलकूप/पम्परोंट में विद्युत संयोजन योजना–00–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामे डाला जायेगा।

2– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 174/XXVII(2)/2006, दिनांक 06 जून, 2006 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

/

(डॉ0 एम0सी0 जोशी)
अपर सचिव

संख्या: 723/1/2006-6(1)/32/2006, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तरांचल ।
2– निजी सचिव–मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
3– कोषाधिकारी, देहरादून।
4– समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल ।
5– वित्त अनुभाग–2/नियोजन विभाग/एन0आई0सी0, उत्तरांचल शासन।
6– श्री एल0एम0 पंत, अपर सचिव, वित्त, उत्तरांचल शासन।
7– प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाने हेतु।
8 गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,

(एम0एम0 सेमवाल)
अनु सचिव